तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./226/2020/झुंझुंनू मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुर जी बनाम तन्जीम खां	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–2
अन्य अप्रार्थीगण कीतरफ से कोई हाजिर नहीं

निर्णय

दिनांक 01.04.2022

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील संख्या–93/2019 में पारित आदेश दिनांक 23–12–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि मूर्ति मन्दिर की है और जरिये वादमित्र यह दावा पेश किया गया था। सम्वत् 1999 के राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी मन्दिर की थी बाद में राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप करके पुजारियों ने अपने नाम करवा ली और अब जमीन को बैच रहे है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, झुझुनूं द्वारा वादग्रस्ति सम्पत्ति की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया था, उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा बिना किसी आधार के उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया। इसलिए यह निगरकानी पेश करनी पडी। मन्दिर की भूमि होने के कारण यथास्थिति के आदेश पारित करते हुए निश्चित समय में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार का तर्क है कि सम्वत् 2012 में वादग्रस्त भूमि गंगाराम की खुदकाश्त में दर्ज थी और वर्तमान में 50वर्षो से निजी खातेदारों के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश की क्रियान्विति स्थगित सही की गयी थी और कानूनी बिन्दू यह उठाते हुए कि उक्त निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्ध होने से पोषणीय ही नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे और अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी, झुझुंनू द्वारा दिनांक 17–12–2019 को गैर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./226/2020/झुंझुंनू मन्दिर मूर्ति श्री ठाकुर जी बनाम तन्जीम खां	नम्बर व तारीख

निगराकार संख्या–1 व अन्य को सुने बिना आदेश पारित किये गये थे और खसरा नम्बर 64, 69, 70, 76, 76/388 व ग्राम श्यामपुरा स्थित खसरा नम्बर 35, 8, 40 के बारे में आगामी तिथि तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में आदेश दिनांक 23–12–2019 को सम्वत् 2012 से आज तक जमाबन्दियों में भूमि खातेदारान की होने के आधार पर व मन्दिर मूर्ति के नाम खातेदारी नहीं होने के आधार पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की क्रियान्विति स्थगित किया और आगामी पेशी नियत की थी। अर्थात् राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का उक्त आदेश पूर्णतयाः अन्तरिम आदेश है। धारा 230–ए में यह उल्लेख किया गया है –

''इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में पारित किये गये किसी अन्तरिम आदेश के विरूद्ध कोई भी पुनरीक्षण नहीं होगा।''

इस प्रकार प्रार्थी निगराकार की निगरानी इस प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों में वादग्रस्त आराजी खुदकाश्त गंगाराम व उसके पुत्रों निजी खातेदारों के नाम दर्ज है। चूंकि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील में अन्तरिम आदेश पारित किया है और उसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की है। इसलिए गुणवगुण पर विस्तृत विवेचन करना न्यायोचित नहीं है। मूल प्रकरण पर निर्णय होना शेष है और प्रकरण दो वर्ष से अधिक से लम्बित है और विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किये गये है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुझुंनूं का अन्तरिम आदेश दिनांक 17–12–22019 और राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का आदेश दिनांक 23–12–2019 दोनों को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुझुंनूं को निर्देश दिये जाते है कि वे दोनों पक्षों को सुनकर यथासम्भव दो माह के भीतर इस प्रकरण का विधिवत् निस्तारण करें और प्रतिवादीगण 15 दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें। सभी पक्षकार प्रकरण के निस्तारण में सहयोग करें।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य